

[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 63/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सा.का.नि.----- (अ), - केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा शुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 146ग (i) के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि में "27 फरवरी, 2009", अंक और शब्द के स्थान पर "19 जुलाई, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) क्रम संख्या 146ग (ii) के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि में "27 फरवरी, 2009", अंक और शब्द के स्थान पर "19 जुलाई, 2012" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

[फा.सं.डीजीईपी/एसईजेड/3/2016]

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 474(अ) 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 20/2017-सीमा-शुल्क तारीख 16 मई, 2017 द्वारा किया गया था ।